न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :— **12 / 05 / 2020**

1. रामहंस गुर्जर स्व0 जगदीश जाति गुर्जर निवासी गोरधनपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर—

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार टहला
2. ग्राम पंचायत मल्लाना पंचायत समिति राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर — रेस्पोडेन्ट

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा—75
उपस्थितः— श्री मानप्रकाश गुर्जर एडवोकेट —अपीलान्ट

<u>निर्णय</u> दिनांक 16.04.2021

1. आज यह अपील वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वकील अपीलान्ट द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 130 / 0.16, 201 / 0.12, 277 / 0.43, 300 / 0.09, 303 / 0.13, 457 / 0.40, 782 / 0.17, 783 / 0.18, 893 / 0.27, 914 / 0.13, कुल किता 10 रकबा 2.08 है0 वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील राजगढ एवं 200 / 0.07, 19 / 0.09, 32 / 0.64, 35 / 0.17, 36 / 0.08, 37 / 0.20, 38 / 0.25, 39 / 0.16, 40 / 0.16, 41 / 0.15, 42 / 0.41, 43 / 0.11, कुल किता 10 कुल रकबा 1.54 है0 तथा 197 / 0.01, 198 / 0.06, 199 / 0.04, 342 / 0.04, 910 / 0.08, 182 / 0.06, 929 / 0.04, 293 / 0.05, 919 / 0.07, 543 / 0.07 वाके ग्राम गोरधनपुरा तह[illegible] जो कि अपीलान्ट को अपने पिता जगदीश पुत्र जीता जाति गुर्जर वाके [illegible] में प्राप्त हुई है। अपीलान्ट के पिता जगदीश पुत्र जीता की मृत्यु के पश्चात [illegible] अपीलान्ट की माता [illegible] व बहिन रामबाई व किशनी बाई के नाम दर्ज हुआ। मृतक [illegible] उक्त आराजी मे पत्नि [illegible]री व पुत्री रामबाई, किशनी बाई का जो हिस्सा बनता था उसका हक्क त्याग पत्र दिनांक 29.12.2011 को अपीलान्ट व

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.06 18:25:01 IST
Reason: SelfAttested

उसके भाई राजराम के पक्ष में तहरीर करवाकर उप पंजीयक साहब राजगढ के यहां पंजीबद्व करवा दिया गया। उसके बाद अपीलान्ट व उसके भाई राजासराम ने अपने मृतक पिता जगदीश की विरासत का नामान्तकरण एवं अपीलान्ट की माता रामप्यारी व बहिन रामबाई व किशनी बाई द्वारा तहरीर व पंजीबद्व कराया गया हैक्क त्याग पत्र दिनांक 29.12.2011 का नामान्तकरण दर्ज कराये जाने हेतु आवेदन किया गया था जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का नाम सहवन से रामहंस गुर्जर के स्थान पर रामहेत दर्ज कर दिया गया और पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते फैसल हेतु ग्राम पंचायत मल्लाना पंचायत समिति राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर के समक्ष पेश किया गया जिसे ग्राम पंचायत मल्लाना के तत्कालीन सरपंच कजोड मल द्वारा स्वीकार कर दिया गया जिस नामान्तकरण के आधार पर अपीलान्ट के पिता जगदीश की उपरोक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में अपीलान्ट का नाम रामहंस गुर्जर के स्थान पर रामहेत दर्ज कर दिया है। अपीलान्ट के खाातेदारी राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर रामहेत जो कि गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसे हजफ किया जाकर रामहेत के स्थान पर रामहंस गुर्जर दुरूस्त किया जावे। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बाद सूचना तामिल हाजिर न्यायालय नही आये। उनकी तरफ से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अभिभाषक ने अपील अपीलान्ट में अंकित तथ्यों को पुनः दौहराते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट की हाल आराजी खसरा नम्बर 130/0.16, 201/0.12, 277/0.43, 300/0.09, 303/0.13, 457/0.40, 782/0.17, 783/0.18, 893/0.27, 914/0.13, कुल किता 10 रकबा 2.08 है0 वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील राजगढ एवं 200/0.07, 19/0.09, 32/0.64, 35/0.17, 36/0.08, 37/0.20, 38/0.25, 39/0.16, 40/0.16, 41/0.15, 42/0.41, 43/0.11, कुल किता 10 कुल रकबा 1.54 है0 तथा 197/0.01, 198/0.06, 199/0.04, 342/0.04, 910/0.08, 182/0.06, 929/0.04, 293/0.05, 919/0.07, 543/0.07 वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील राजगढ में अवस्थित है जो कि अपीलान्ट को अपने पिता जगदीश पुत्र जीता जाति गुर्जर के ग्राम गोरधनपुरा से विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलान्ट के पिता जगदीश पुत्र जीता की मृत्यु के पश्चात विरासत का इन्तकाल अपीलान्ट की माता रामप्यारी व बहिन रामबाई व किशनी बाई के नाम दर्ज हुआ। मृतक जगदीश की उक्त आराजी मे पत्नि रामप्यारी व पुत्री रामबाई, किशनी बाई का जो हिस्सा बनता था उसका हक्क त्याग पत्र दिनांक 29.

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.06 18:25:01 IST
Reason: SelfAttested

12.2011 को अपीलान्ट व उसके भाई राजराम के पक्ष में तहरीर करवाकर उप पंजीयक साहब राजगढ के यहां पंजीबद्व करवा दिया गया। उसके बाद अपीलान्ट व उसके भाई राजासराम ने अपने मृतक पिता जगदीश की विरासत का नामान्तकरण एवं अपीलान्ट की माता रामप्यारी व बहिन रामबाई व किशनी बाई द्वारा तहरीर व पंजीबद्व कराया गया हैक्क त्याग पत्र दिनांक 29.12.2011 का नामान्तकरण दर्ज कराये जाने हेतु आवेदन किया गया था जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का नाम सहवन से रामहंस गुर्जर के स्थान पर रामहेत दर्ज कर दिया गया और पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते फैसल हेतु ग्राम पंचायत मल्लाना पंचायत समिति राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर के समक्ष पेश किया गया जिसे ग्राम पंचायत मल्लाना के तत्कालीन सरपंच कजोड मल द्वारा स्वीकार कर दिया गया जिस नामान्तकरण के आधार पर अपीलान्ट के पिता जगदीश की उपरोक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में अपीलान्ट का नाम रामहंस गुर्जर के स्थान पर रामहेत दर्ज कर दिया है। अपीलान्ट के खाातेदारी राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर रामहेत जो कि गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसे हजफ किया जाकर रामहेत के स्थान पर रामहंस गुर्जर दुरूस्त किया जावे। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपील अपीलान्ट का अवलोकन किया गया। अपील पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य नामान्तकरण संख्या 334 निर्णय दिनांक 06.08.2012 वाके ग्राम गोरधनपुरा, फोटो प्रति तहरीर हक्क त्याग दिनांक 29.12.2011, नकल हाल जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 189, जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 117, जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 118, जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 122, जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 210, जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 186, जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 188, जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 28, जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 29, जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 31, जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 32, जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 59, जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 211, जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 44, आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, पैन कार्ड, अंकतालिका सैकण्डरी स्कूल आदि पेश की, से भी अपील अपीलान्ट काबिले स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.06 18:25:01 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

अपील अपीलान्ट इन्तकाल संख्या 334 निर्णय दिनांक 06.08.2012 वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील राजगढ स्वीकार की जाती है। तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो इन्तकाल संख्या 334 निर्णय दिनांक 06.08.2012 ग्राम पंचायत मल्लाना की कार्यवाही निरस्त करते हुये विधिवत जॉच कर पुनः नियमानुसार नामान्तकरण निर्णय पारित करें एवं उपरोक्त आराजी की सभी जमाबंदीयों में संशोधन करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजगढ को पालनार्थ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.06 18:25:01 IST
Reason: SelfAttested